कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राज0,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

चोरी गई बोलेरा कैम्पर बरामद,
एक अभियुक्त गिरफतार

कई ओर वारदातों से पर्दा उठने के आसार

जयपुर 18 अप्रेल। पुलिस थाना रामदेवरा ने जरिये मुखबीर ईतला पर पुलिस थाना रागेश्वरी बाडमेर के स्टॉफ के साथ मिलकर थाना क्षेत्र से बालेरो कैम्पर लाईफ स्टाईल आरजे 19 जीडी 0970 बरामद कर एक मुलजिम को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की।

पुलिस अधीक्षक जैसलमेर श्री गौरव यादव ने बताया कि 26 मार्च, 2017 को चेतनराम पुत्र सोनाराम जाति मेघवाल निवासी गण्डेरो की ढाणी जोधपुर ने थाना पर एक रिपोर्ट पेश कि की रात्रि जागरण में मेरी गाडी आर जे 19 जीडी 0970 बोलेरो केम्पर लाईफ स्टाईल को धर्मशाला परिसर में खडी की सुबह देखने पर गाडी नहीं मिली।

श्री गौरव यादव ने बताया कि उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना रामदेवरा में चोरी का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। चोरी की गाडी एवं चोरों की तलाश के लिए जिला स्तर पर थानाधिकारी पुलिस थाना रामदेवरा अमरसिंह उनि के नेतृत्व में सउनि खुशालचंद, कानि. कमलसिंह एवं तकनिकी सहायता के लिए कानि. मुकेश बीरा एवं भीमरावसिंह पुलिस अधीक्षक कार्यालय जैसलमेर की टीम गठित कर टीम ने जिला जैसलमेर के अलावा बाडमेर, गुडामलानी, जालोर, सांचोर में लगातार तलाश जारी गई तथा वांछित चोरी पर पैनी नजर रखी गई।

उन्होंने बताया कि मुखबीर ईतला के अनुसार पुलिस थाना रागेश्वरी बाडमेर के स्टॉफ के साथ मिलकर थाना क्षेत्र से बालेरो कैम्पर लाईफ स्टाईल आरजे 19 जीडी 0970 बरामद कर मुलजिम नरपतसिंह पुत्र वजाराम जाति पुरोहित निवासी सिन्धासवा पुलिस थाना गुडामलानी बाडमेर को दस्तयाब कर गिरफतार किया गया।

श्री यादव ने बताया कि मुलजिम आले दर्जे का वाहन चोर है जिसने कई वारदाते कबुली है जिसे प्राडेक्शन वारन्ट पर गिरफतार कर पेश अदालत किया जाकर पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया। पुछताछ जारी है। पुछताछ में ओर कई वारदातों से पर्दा उठने के आसार है।

राही/सन्तरा/309/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राज0,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

सेवर पुलिस ने किया हत्या का पर्दाफाश

पुत्र ही निकला पिता का हत्यारा

जयपुर 18 अप्रेल। थाना सेवर ने 8 अप्रेल,2017 को अजान बांध पर हुई गोलीबारी की घटना ने पिता की मृत्यु व पुत्र के घायल होने की घटना में पुलिस ने पर्दाफाश करते हुये मृतक विजयसिंह के पुत्र राहुल व उसके भतीजे विक्रम गुर्जर को गिरफतार किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री कैलाशचन्द्र विश्नोई ने बताया कि 8 अप्रेल,2017 को राहुल पुत्र विजयसिंह जाति गुर्जर उम्र 19 साल निवासी खुडासा थाना उच्चैन ने आरबीएम अस्पताल भरतपुर में बताया कि उसकी दुश्मनी अपने चाचा के लडके नरसी उर्फ नरपत से चल रही थी। वह अपने पिता को डॉ0 राजवीर के अस्तपाल में चैकअप करवाकर दोपहर 1 बजे अपने गांव वापिस जा रहे थे रास्ते में गांव एक्टा के पास अजान बांध पर सामने से ताऊ रामसहाय का दामाद राजेश आया और आते ही गोली चला दी जो उसके बांये हाथ में लगी तथा पीछे की तरफ से नरसी व राजेश के भतीजे भूरा पुत्र अमरसिंह व गब्बर पुत्र अशोक आये तथा उन्होनें पिता के ऊपर गोली चला दी। मैं जान बचाकर पास के खेत में आ गया जहॉ से चाचा के लडके विक्रम को बुलाया वह मुझे अस्तपाल लेकर गया एवं उक्त घटना में मेरे पिता विजयसिंह की मौत हो गई।

श्री विश्नोई ने बताया कि इस सम्बन्ध में थाना सेवर पर मुकदमा दर्ज कर थानाधिकारी पुलिस थाना सेवर श्री खलील अहमद ने अनुसंधान प्रारम्भ किया तथा घटना की गम्भीरता को देखते हुये शीघ्र खुलासा करने के लिए एक विशेष पुलिस टीम गठित की। एफएसएल टीम के डॉ0 श्री मुकेश व डॉ0 श्री राकेश रोशन ने घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किये।

इस तरह मिला सुराग

उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान घायल राहुल ने छोडी गई मोटरसाईकिल का पट्रोल स्विच बन्द मिलने से शक हुआ कि जिस तरफ से गोली चलना बताया गया था। वहां खाली कारतूस के खोखे विपरीत दिशा में मिलने पर राहुल की कहानी पर सन्देह हुआ जिसकी मेडिकल बोर्ड से जांच कराई गयी तो उसके हाथ में गोली बिल्कुल नजदीक से मारना ज्ञात हुआ।

इस पर नामजद आरोपी राजेश, भूरा, गब्बर, नरसी की कॉल डिटेल निकाली गई तो घटना के समय उनका दूसरी जगह होना पाया गया तथा घटना के समय नामजद आरोपी भूरा, गब्बर का बयाना जेल पर उपस्थित होना पाया गया और जेल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से उनकी उपस्थिति बयाना जेल पर प्रमाणित हो गई इसके विपरीत घायल राहुल की कॉल डिटेल में लगातार अपने चाचा के लडके विक्रम से बात होना व घटना के पहले विक्रम का घटना स्थल पर होना तथा वापिस अपने गांव जाना और सूचना पाकर घटना स्थल पर पुनः आना फिर घायल राहुल को अस्पताल ले जाना पाया गया। पुलिस ने राहुल व विक्रम से गहनता पूर्वक व कडाई से पूछताछ की गई तो दोनों टूट गये और पूरी कहानी का खुलासा कर दिया।

घटनाक्रम इस प्रकार है मृतक विजयसिंह के दो बडे भाई रामसहाय व नरपत एवं एक छोटा भाई कंवरसिंह है। नरपत के तीन लडके साहबसिंह, नरसी व विक्रम है। साहबसिंह और विक्रम का विवाद खेत के बटवारे को लेकर नरसी से चला आ रहा था। इस कारण गांव खुडासा को छोडकर अपने ताऊ रामसहाय के दामाद राजेश के पास रह रहा था। एक माह पूर्व नरसी, भूरा व गब्बर ने विक्रम के साथ मारपीट की थी। इस कारण आपस में रंजिश चल रही थी। दूसरी तरफ मृतक विजयसिंह शराब पीने का आदि था तथा जमीन बेचने पर उतारू था। इस बात पर पुत्र राहुल से कई बार विवाद भी हुआ था। और राहुल ने अपनी मां और बहिनों के साथ मिलकर रेबन्यू कोर्ट रूपवास में दावा भी किया था। इस पर राहुल और विक्रम ने विजयसिंह की हत्या करके नरसी, भूरा, गब्बर व राजेश को फंसाने का षडयन्त्र रचा और पुत्र व भतीजे ने मिलकर पिता की हत्या कर दी परन्तु पुलिस की सर्तकता एवं गहन अनुसंधान के चलते अपने शडयन्त्र में सफल नहीं हो सके। और अपने ही बुने जाल में खुद ही फंस गये। उक्त मामले में पुलिस ने आरोपी **राहुल पुत्र विजयसिंह** व **विक्रम पुत्र नरपत** को गिरफतार किया गया है।

2 हजार रूपये के ईनामी बदमाश व उसके साथ को किया गिरफ्तार
2 अवैध कट्टा मय 2 कारतूस बरामद

ईनामी बदमाश मौसम

हकीम

जयपुर 18 अप्रेल। थाना पहाडी ने आज मंगलवार को जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड के लिए चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत 2 हजार रूपये के एक ईनामी बदमाश सहित 2 जनों को अवैध कट्टा व कारतूस सहित गिरफतार किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री कैलाशचन्द्र विश्नोई ने बताया कि 18 अप्रैल 2017 को मुखविर की सूचना पर कार्यवाही करते हुये थानाधिकारी थाना पहाडी श्री मुकेशचन्द पु0नि0 मय जाप्ता ने ईनामी बदमाश **मौसम उर्फ सुक्का पुत्र नूरू जाति मेव निवासी घाटमीका थाना पहाडी** को गांव धीमरी के पास से गिरफतार कर कब्जे से एक अवैध कट्टा मय जिन्दा करतूस 315 बोर के जप्त कर थाने

पर मुकदमा आर्म्स एक्ट में पंजीबद्व किया गया है। जिसकी गिरफतारी पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर की ओर से 2000 रुपये का इनाम भी घोशित था।

इसी प्रकार श्री गोपालसिंह हैड कानि0 मय जाप्ता ने **हकीम पुत्र सलामुद्दीन जाति मेव निवासी बडेड थाना पुन्हाना जिला नॅूह मेवात हरियाणा** को कस्वा पहाडी से गिरफतार कर कब्जे से एक अवैध कट्टा मय जिन्दा करतूस 315 बोर के जप्त कर थाने पर मुकदमा आर्म्स एक्ट में पंजीबद्व किया गया किया गया है। उक्त दोनों आरोपियों से गहनतापूर्वक पूछताछ जारी है।

राही / सन्तरा / 310 / 2017
नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राज0,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

उदयपुर जिले के पुलिसकर्मी को किया विशेष पदौन्नति से पुरस्कृत

जयपुर 18 अप्रेल। महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री मनोज भट्ट द्वारा सेवाकाल के दौरान उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने के फलस्वरूप एवं पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा पर उदयपुर जिले के एक पुलिसकर्मी को विशेष पदोन्नति दी है।

अति. महानिदेशक पुलिस (मुख्यालय) श्रीनिवास राव जंगा ने बताया कि उदयपुर जिले के कान्स्टेबल श्री महेन्द्र सिंह कानि. 802 को हैड कांनिस्टेबल के पद पर विशेष पदोन्नति दी गई है।

श्री राव ने बताया कि 12 सितम्बर, 2012 को पुलिस थाना डबोक के थानाधिकारी को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मावली रोड नांदवेल से आगे सांवरिया होटल के पीछे बने कमरे में तीन बदमाश रुके हुए हैं, जिनके पास अवैध पिस्तौल है तथा वे कोई संगीन वारदात करने आये हैं। यह भी संभव है कि 7 सितम्बर 12 को ऋषभदेव थाना क्षेत्र में एक ट्रक ड्राइवर को इन्हीं बदमाशों ने गोली मारी थी तथा उस केस में पुलिस को इनकी तलाश है।

श्री जंगा ने बताया कि श्री महेन्द्र सिंह 802, कानि0 ने स्वयं के स्तर पर सूचना संकलन कर उच्च कोटि की सूझबूझ कर्तव्यनिष्ठा एवं शौर्य का प्रदर्शन कर अपने प्राणों की बाजी लगाकर तीन बदमाशों को अवैध हथियारों सहित मुठभेड के दौरान अत्यन्त सराहनीय भूमिका निभाई हैं। मुख्यतः अपराधियों द्वारा ताबडतोड फायरिंग के दौरान श्री महेन्द्र सिंह 802 के दाहिनें हाथ की कोहनी में गोली लग गई और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश में कांस्टेबल घायल हो गया। पुलिस के घायल कानि0 श्री महेन्द्र सिंह 802 को उदयपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उच्चाधिकारियों को हालात से अवगत कराया।

उक्त पुलिस कर्मी द्वारा दिन रात मेहनत कर जान जोखिम में डालकर कर्तव्यनिष्ठा, सूझबूझ एवं तकनीकी सहायता से प्रकरणों में महत्वपूर्ण अनुकरणीय एवं अति उत्कृष्ट भूमिका

निभाने के उपरांत पुलिस विभाग द्वारा श्री महेन्द्र सिंह 802 कानि. को हैड कानिस्टेबल पद पर पदौन्नति देकर पुरस्कृत किया है।

राही/मनीष/अमन/306/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राज0,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

विश्वविद्यालय पेपर लीक प्रकरण में सरकारी व्याख्याता एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुभाग अधिकारी सहित 5 अभियुक्त और गिरफ्तार

नंदलाल सैनी शंकर चौपड़ा, अखिल रावत चन्द्रप्रकाश सिंधी अजय कुमार सैनी

जयपुर 18 अप्रेल। राज्य सरकार के निर्देशन में एसओजी द्वारा विश्वविद्यालयों के पेपर लीक के प्रकरण में 17 अप्रेल 2017 को की गयी कार्यवाही के अनुसरण में अभियान जारी रखते हुए अब तक कुल 6 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। इन प्रकरणों में कुल 13 आरोपीगण गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

एडीजी एटीएस एवं एसओजी श्री उमेश मिश्रा ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को एसओजी द्वारा विश्वविद्यालय प्रश्न पत्र लीक प्रकरण के प्रथम चरण में 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इसके पश्चात् 3 अन्य प्रकरण दर्ज कर 5 और अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों में नंदलाल सैनी (कार्मिक, गोपनीय शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय), शंकर चौपड़ा, व्याख्याता कालाडेरा महाविद्यालय, चन्द्रप्रकाश सिन्धी (कोचिंग संचालक, बांदीकुई), अखिल रावत, अजय कुमार सैनी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उल्लेखनीय है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के एम.ए. प्रीवियस ए.बी.एस.टी.पेपर द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा 13 अप्रेल 2017 को आयोजित की गयी थी। उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र सैटर के संबंध में विश्वविद्यालय के गोपनीय शाखा के अनुभाग अधिकारी नंदलाल सैनी द्वारा सूचना लीक करने पर आरोपीगण द्वारा पेपर सैटर से सीधे ही संपर्क कर परीक्षा से पूर्व 12 अप्रेल 17 को ही प्रश्नपत्र प्राप्त कर लिया गया।

इसी प्रकार राजस्थान विश्वविद्यालय के एम.ए. फाईनल भूगोल के 'वाटर रिसोर्स' एवं 'एडवांस ज्योग्रॉफी ऑफ इण्डिया' के प्रश्नपत्र परीक्षा से पूर्व ही 8 अप्रेल 17 को शंकर चौपड़ा, व्याख्याता कालाडेरा महाविद्यालय द्वारा भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष जे.पी. जाट को बता दिये गये।

श्री उमेश मिश्रा ने बताया कि एसओजी की टीम द्वारा 17 अप्रेल 17 को दौसा जिले के बांदीकुई कस्बे में मुताबिक ईत्तला कार्यवाही करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय की बी.कॉम पार्ट द्वितीय इनकम टैक्स प्रश्नपत्र को परीक्षा से पूर्व लीक करने के आरोप में दबिश देते हुए कोचिंग संचालक चन्द्रप्रकाश सिंधी सहित गिरफ्तार कर जयपुर लाकर प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त सभी अभियुक्तगण को आज न्यायालय में पेश किया जाकर 23 अप्रेल 2017 तक का पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड प्राप्त किया गया है। समस्त 6 प्रकरणों में अनुसंधान जारी है।

राही/मनीष/अमन/307/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।